

मुजफ्फरपुर जिला : ग्रामीण अधिवास का एक भौगोलिक अध्ययन

सुनील कुमार

शोध छात्र, भूगोल विभाग

B.R.A.B.U., Muzaffarpur

सारांश

ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के भौतिक एवं सामाजिक कल्याण में संवर्धन करना है। समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास में समांकलन एक "विधितंत्र" ग्रामीण क्षेत्र, उसका "केन्द्र बिन्दु" एवं "विकास" उसका उद्देश्य है। समन्वित क्षेत्रीय विकास के संतुलित विकास से संबंधित है जिसमें भौतिक परिवेश में सामाजिक आर्थिक क्रियाओं के उपयुक्त अवस्थिति का निर्धारण विशेष महत्वपूर्ण है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सामाजिक न्याय मिल सकता है।

विभिन्न पिछड़े क्षेत्र क्रमशः अस्तित्व में लाये जा सकते हैं, इनका भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या का सन्तुलन भी बढ़ता रहेगा और उसी के साथ-साथ सेवा केन्द्र और विकास केन्द्र भी बढ़ते रहेंगे। केन्द्रीय ग्राम, सेवा केन्द्र, विकास केन्द्र तथा क्षेत्रीय नगर सड़क, आवागमन के साधनों, संचार साधनों द्वारा नगरों एवं महानगरों से जोड़े जा सकेंगे। सम्पूर्ण विकास का नियोजन करते समय हमें सेवा केन्द्रों के स्थानों का चयन तथा आर्थिक नियोजन की सम्भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। लघु स्तरीय नियोजन को किसी अधिवास के विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह केन्द्रीय स्थानों को ध्यान में रखकर नियोजन की नीति बनाने पर बल देता है। इसका उद्देश्य है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर चलकर सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास किया जाय। बहुत से समस्याओं में यह क्षेत्र जिले से अलग भी हो सकता है। ऐसा करने में स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं और उनके विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का आपसी सामंजस्य तथा सही स्थान पर उनकी स्थापना सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के आधार बिन्दु हैं।

मूल शब्द : मुजफ्फरपुर जिला, ग्रामीण अधिवास, भौगोलिक अध्ययन।

प्रस्तावना

ग्रामीण अधिवास (Rural Settlement) : शरण (आवास) मानव की प्रमुख एवं प्रारम्भिक आवश्यकता है। मनुष्य भूमि पर जिस स्थान को शरण या निवास के लिये चुन लेना है और शरण के लिए घर, मकान, निवास, भवन अथवा झोपड़ी आदि का निर्माण करता है, उसे मानव का अधिवास या बस्ती कहते हैं। अधिवास में सभी प्रकार के आश्रमों को सम्मिलित किया गया है। वह चाहे घास-फूस खप्पर हो, लकड़ी और मिट्टी का बना मकान अथवा अत्याधुनिक मानचित्रों में निर्मित पक्का भवन या किला हो। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य करके एक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। अतः निकाय के लिए निर्मित मकानों के अतिरिक्त कल कारखानों या फैक्ट्रियों की बिल्डिंग शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं की इमारतों तथा धार्मिक भवन आदि सभी अधिवास के अन्तर्गत आते हैं।

अधिवास के प्रकार :

अधिवासों के आकार स्वरूप कार्यो तथा मकानों अथवा झोपड़ियों आदि की पारस्परिक दूरी को ध्यान में रखकर इन्हें दो प्रधान वर्गों में रखा जा सकता है :

1. प्रतिकीर्ण अधिवास या बिखरे अधिवास
2. सघन अथवा अधिपिड़न अधिवास

डॉ० एस०डी० कौसिक ने अधिवासों को चार वर्गों में विभक्त किया है :

1. प्रतिकीर्ण या एकाकी अधिवास
2. सघन या अधिपिड़न अधिवास
3. संयुक्त अधिवास
4. अपखण्डित अधिवास

प्रतिकीर्ण अधिवास में मकान अलग-अलग एक दूसरे के बीच में कृषि भूमि को छोड़कर बने होते हैं। अमेरिका या कनाडा में अधिवास को कृषि गृह अथवा वास गृह कहते हैं।

कार्य या गुणों के आधार पर सघन अधिवास को दो वर्गों में विभाजित किया गया है :

1. ग्रामीण अधिवास
2. नगरी अधिवास

ग्रामीण अधिवास में अधिकतर कृषक वर्ग निवास करते हैं जिनका जीविकोपार्जन कृषि या पशुपालन है, उन्हें ग्रामीण अधिवास कहा जाता है।

नगरीय अधिवास जनसंख्या वा घनत्व के दृष्टि से अधिक होते हैं। नगरीय अधिवास में निर्माण, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा सेवा आदि की बहुतायत होती है।

ग्रामीण अधिवास के प्रकार :

ग्रामीण अधिवासों के भी आकार एवं स्वरूप के दृष्टि में कई भेद होते हैं :

- (अ) पुरवा वा नगला (Hamlet)
- (ब) गांव (Village)
- (स) बाजारी गाँव (Market Village)

(अ) पुरवा वा नगला : कुछ घर झोपड़ियों का समूह होते हैं। इसमें लगभग एक ही बिरादरी के लोग अथवा एक परिवार के लोग निवास करते हैं। पुरवा नगला में बने मकानों की कोई कार्य योजना नहीं होती है।

(ब) गांव : गांव में मुख्यतः कृषक वर्ग निवास करता है, कृषि कार्य को सहायता करने वाले अन्य लोग – लोहार, बढ़ई, धोबी, नाई, दर्जी।

(स) बाजारी गाँव : गांव में जब बाजार विकसित हो जाती है, तो वह बाजारी गांव कहलाता है।

कस्बा (Town) : गांवों में जहाँ परिवहन, आवागमन, प्रशासनिक कार्यालय आदि खुल जाते हैं, जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती है, वे कस्बा (Town) के श्रेणी में आ जाते हैं।

ग्रामीण अधिवासों की विशेषतायें अथवा ग्रामीण अधिवासों के मुख्य लक्षण :

1. ग्रामीण अधिवास में निवास करने वाले लोगों का मुख्य साधन कृषि है, जिसमें अधिकांश कृषक निवास करते हैं, जिनका कृषि भूमि से सीधा सम्बन्ध है। अधिकांश ग्रामीण अधिवासों का वितरण नदियों के उपजाऊ मैदानों में मिलता है।
2. ग्रामीण अधिवास के लोगों में अधिक सहकारिता एवं सहयोग की भावना होती है।
3. ग्रामीण अधिवास के मकानों को दो खण्डों में बनाया जाता है, एक परिवार के सदस्यों के लिये, दूसरा पशुओं को बांधने, चारा काटने वा कृषि उपकरण रखने हेतु। मुख्य मकान में अलग-अलग ढालान या बैठक बनाया जाता है, जिसमें पुरुष वर्ग के सोने, बैठने या आगन्तुकों के ठहरने की व्यवस्था होती है।
4. ग्रामीण अधिवासों के मकान छोटे अथवा स्थानीय सामग्री, मिट्टी की दीवारों पर घास-फूस, बांस, लकड़ी या खपरैल की छतों से निर्मित होते हैं।
5. ग्रामीण अधिवास के निर्माण की कोई योजना नहीं होती है। भूमि की उपलब्धि वा सुविधानुसार बनाये जाते हैं।
6. मुख्य गाँव के पास सामान व्यवसाय के लोगों की अलग-अलग बस्तियां होती है। बस्तियों में निवास के आधार पर नामकरण कर दिया जाता है।
7. ग्रामीण अधिवास किसी ऊंची भूमि पर कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि पर बनते हैं। परन्तु जल की सुविधा का ध्यान रखा जाता है।
8. मुजफ्फरपुर जिला में बहुसंख्यक ग्रामीण अधिवास पर्वत, पठार, मैदान व जंगली भागों में है, जहाँ झील, झरने, तालाब, नदियों आदि के जल श्रोत हैं। गांवों में आज भी पहुंच की सुविधाएँ कम हैं।

मुजफ्फरपुर जिला में जनसंख्या का वितरण :

मुजफ्फरपुर जिले में जनगणना वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या 3746714, जिसमें 1951466 तथा महिला 1795248 थी। जनगणना वर्ष 2011 में जनसंख्या 4801062 थी, जिसमें पुरुष 2527497, स्त्रियां 2273565 है। जनसंख्या में दशक में वृद्धि 2001-2011 में 28.14 प्रतिशत है।

तालिका 1 : मुजफ्फरपुर जिला में जनसंख्या का वितरण, 2011

क्र० सं०	जिला / प्रखण्ड	जनगणना 2011 की जनसंख्या	जनगणना 2001 की जनसंख्या
	मुजफ्फरपुर	4801062	3746714
1.	साहेबगंज	241438	183118
2.	बरुराज	406795	306007
3.	पारु	361652	274563
4.	सरैया	331651	248946
5.	मारवन	164858	124227
6.	कांटी	272858	213223
7.	मीनापुर	340925	259356
8.	बौचहा	245659	184662
9.	औराई	290545	232729
10.	कटरा	244823	191410
11.	गायघाट	124057	203065
12.	बंडरा	90490	107266
13.	घोसी (मुरौल)	259719	74670
14.	कुढ़नी	683073	344755
15.	सकरा	435676	242815
16.	मुसहरी	306833	555902

मुजफ्फरपुर जिला में ग्रामीण अधिवास के प्रकार :

मुजफ्फरपुर जिला में मुख्य रूप से अधिवासित ग्रामीण बस्ती को निम्न अधिवास प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. सामूहिक या सघन अधिवास :

मुजफ्फरपुर जिला में सामूहिक रूप से ग्रामीण अधिवास पाये जाते हैं। ऐसे गाँव स्वयं में एक इकाई के रूप में है। सामूहिक या सघन अधिवास को आकार के हिसाब से कई श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :

1. पुरवा या नगला
2. ग्राम
3. बाजारी गाँव या कस्बा

इसमें पुरवा अधिवास का सबसे छोटा रूप है। इस तरह के गाँव मुजफ्फरपुर जिला में अलौरा लखनपुर, मधुबन आदि गाँव के कुछ खास होता है।

1. संयुक्त अधिवास : एक प्रधान गाँ हो ताकि इस गाँव में 2 से 4 छोटे-छोटे पुरवे होते हैं। इनका अलग-अलग नाम होता है। ऐसे गाँव बोचहा, काँटी, कुढ़नी आदि प्रखण्डों में बहुतायत रूप से पाये जाते हैं।

2. अपरखण्डित अधिवास : जिस ग्रामीण अधिवास में मकान एक दूसरे से थोड़ी दूर पर बने होते हैं अथवा दो या तीन मकानों के छोटे-छोटे पुरवे थोड़ी-थोड़ी दूर पर बने होते हैं इन सभी को मिलाकर एक अधिवास बनता है। इन्हें अपरखण्डित श्रेणी में रखा जाता है, ऐसे मकान मुजफ्फरपुर जिला में तालाब, पोखर, उपजाऊ कृषि भूमि, नदियों के किनारे पाये जाते हैं। नहरों के किनारे भी मुजफ्फरपुर जिले में इस तरह के अधिवास बने हुए हैं।

मुजफ्फरपुर जिला में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप में अन्तर होता है :

अधिवास का प्रकार, उसमें बने मकानों की संख्या और मकानों के बीच की पारस्परिक दूरी पर निर्धारित होता है। अधिवास का प्रतिरूप बसाव की आकृति के

अनुसार बनता है। इस प्रकार मुजफ्फरपुर जिला के ग्रामीण अधिवास के निम्न मुख्य प्रतिरूप मिलते हैं :

चौक पट्टी प्रतिरूप

मैदानों में जहाँ दो मुख्य सड़कें एक-दूसरे से लगभग समकोण कर क्रॉस करती हैं वहाँ क्रॉस स्थल पर बसने वाले गाँवों में प्रतिरूप बनता है, गाँवों की गलियाँ मुख्य सड़कों के समान्तर होती हैं और वे एक-दूसरे को समकोण पर काटकर आपातों का निर्माण करती हैं। इन सड़कों पर गलियों के किनारे पर मकान सुनियोजित ढंग से बने हुए सुन्दर दिखाई देते हैं, जैसे-कोटी, मुरौल, कांटी प्रखंड के पास बसी बस्ती आदि।

रेखीय प्रतिरूप

जब गाँव किसी नदी सड़क या नहरों के किनारे बसा होता है, इस प्रकार का प्रतिरूप दिखता है :

1. आरीय प्रतिरूप (Radial Pattern)।
2. वृत्तीय प्रतिरूप (Circular Pattern) : झील या तालाब के किनारे या पहाड़ी के चारों ओर जैसे-दामोदरपुर।
3. तारा प्रतिरूप : आरीय प्रतिरूप तारा प्रतिरूप में बदल जाता है, जैसे-यहियापुर।
4. त्रिभुजाकार प्रतिरूप (Triangular Pattern) : बोचहाँ प्रखण्ड में प्रतिरूप ये नदियों के किनारे रोड़ से लगे हुए बने हुए हैं इनकी आकृति त्रिभुजाकार है।
5. तीरनुमा प्रतिरूप : ग्राम बेला।
6. सीढ़ीनुमा प्रतिरूप (Terrace Pattern) : पर्वतीय ढलानों पर या ऊँचे भूमि पर।
7. चौकोर प्रतिरूप।
8. पंखानुमा प्रतिरूप।

ग्रामीण अधिवासों के उत्पत्ति एवं विकास में सहायक कारक :

1. जल की सुविधा

2. भू-स्वरूप
3. सूर्य प्रकाश ढाल का रूख
4. जलवायु
5. उपजाऊ भूमि
6. सुरक्षा

अन्य कारक :

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएँ, आर्थिक एवं सामाजिक कारक भी मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिला में ग्रामीण अधिवासों के मकान निर्माण सामग्री तथा मकानों के प्रकार: मुजफ्फरपुर जिला में विभिन्न भागों में पाये जाने वाले मकानों की स्थिति, आकृति तथा आकार में बड़ी असामानता मिलती है। विभिन्नता के लिये निम्न कारक उत्तरदायी है :

1. जलवायु
2. भूमि बनावट और ढाल
3. जल प्राप्ति की दशा
4. आर्थिक दशा
5. सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताएँ
6. राजकीय नियम
7. निर्माण सामग्री

मुजफ्फरपुर जिला में मकानों का वर्गीकरण :

मकानों का वर्गीकरण कई दृष्टिकोणों से किया जाता है। मकानों की आकृति, आकार, निर्माण की सामग्रियाँ तथा उपयोग आदि के दृष्टि से बड़ी विभिन्नताएँ हैं। इसमें विद्वानों में काफी भिन्नताएँ हैं। डॉ० एस०डी० कौशिक ने मकानों का वर्गीकरण, उनकी आकृति, आकार निर्माण, सामग्री तथा कार्य आदि दृष्टिकोण में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है, जिसे संक्षिप्त में यहाँ दिया जा रहा है :

(अ) आकृति के अनुसार :

1. ढालू छत के मकान : मुजफ्फरपुर जिले में जंगली भाग, पर्वतीय भाग या पठारी भागों में इस प्रकार के मकान बहुतायत में पाये जाते हैं, इसमें स्थानीय लकड़ी, बांस, बल्ली, पत्थर, मिट्टी का गारा, खपरैल या स्थानीय घास का उपयोग कर मकान का निर्माण किया जाता है।
2. सपाट छत के मकान : मैदानी भाग पारू, सरैया, कटरा आदि प्रखण्डों में इस प्रकार के मकान मिलते हैं।
3. ढालू सपाट छत का मिश्रित मकान।
4. चौकोर या आयताकार मकान।
5. वृत्ताकार मकान।
6. चहर दीवार से घिरे मकान आदि में पाये जाते हैं।

(ब) आकार के अनुसार वर्गीकरण :

1. छोटे आश्रम : जगह-जगह खेतों में पाये जाते हैं।
2. झोपड़ियां : नदियों के किनारे कृषि और भूमि के किनारे।
3. एक मंजिला मकान।
4. दो मंजिला मकान।
5. तीन मंजिला मकान।


(स) निर्माण सामग्री के अनुसार वर्गीकरण :

1. छपपर के बने झोपड़े : पशुपालन हेतु।
2. बांस या लकड़ी के मकान : जंगली भागों में।
3. मिट्टी की दीवाल, घास-फूस की छत।
4. पक्की ईंट व लकड़ी और खपरैल की छत वाले मकान।
5. ईटा, पत्थर, लोहा तथा सीमेन्ट निर्मित मकान।

(द) कार्यों के अनुसार वर्गीकरण :

1. निवास के लिये मकान।

2. पशुओं के लिए मकान ।
3. कृषि यंत्रों के लिये सेड ।
4. संयुक्त मकान : मानव, पशु, कृषि उपकरण आदि रखने का मकान ।



पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न सोपान

आज भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था विद्यमान है उसका श्रेय बलवंत राय गोपाल राय मेहता समिति को जाता है, जिनकी अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का श्री गणेश हुआ। बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन पंचायती राज के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व रखता है क्योंकि मेहता प्रतिवेदन में आधारभूत सिद्धांत और संस्थाओं का स्वरूप निश्चित किया गया था।

73वें संविधान संशोधन के बाद स्थापित पंचायती राज का स्वरूप सामान्यतया: उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। जिन्हें मेहता समिति ने दिया था। इन सिद्धांतों के अनुरूप भारत में विभिन्न राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन स्वरूप में थोड़े बहुत अंतर के साथ 73वें संविधान संशोधन के अनुसार स्थापना की गई।

ग्रामीण सेवा केन्द्र-I

प्रथम स्तर :ग्राम पंचायत

भारतीय लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई है। ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव समस्त जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का अपना अधिकार क्षेत्र होता है जिससे वे अपना सर्वांगीण विकास पंचायत की अधिवास पर किया जाता है।

ग्रामीण सेवा केन्द्र-II

द्वितीय स्तर :प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति :

मुजफ्फरपुर जिला में 16 प्रखण्ड इकाई है तथा उनमें कई पंचायत समिति सदस्य चुनकर आते हैं और प्रखण्ड स्तर पर प्रमुख का चुनाव करते हैं। ग्रामीण व्यवस्था की विकास प्रखण्ड स्तर पंचायत समिति योजनाओं के तहत किया जाता है।

ग्रामीण सेवा केन्द्र-III

तृतीय स्तर :जिला परिषद्

पंचायती राज के क्रमिक विकास में तृतीय स्तर पर जिला परिषद् का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय जिला परिसदन होता है, जिससे के पंचायती राज

की पर्याप्त सीमा तक भ्रष्टाचार घन की पराधीनता, राजनीतिक छात्र बंदी, जातिवाद, सांप्रदायिक की बेड़ियों से मुक्त रखा जा सके। जिला परिषद् अध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद् सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला अधिकारी जिला परिषद का सचिव होता है।

निष्कर्ष :

मुजफ्फरपुर जिला के अधिवास सेवा केन्द्र या केन्द्रीय गाँवों उनके पृष्ठ प्रदेशों में भावी विकास हेतु शासन स्तर पर किये गये प्रयासों का सामान्य जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो समन्वित ग्रामीण विकास की अति संकल्पना में समाहित है। ग्रामीण सेवा केन्द्र उनका केन्द्र बिन्दु है तथा विकास उसका लक्ष्य है जो एक दूसरे के पूरक हैं।

भावी विकास का आकलन इस बात पर निर्भर है कि सेवा केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय केन्द्रीय गाँव एवं उनके पृष्ठ प्रदेशों में प्रखण्ड में जिला में 'ग्रामीण विकास' की कार्य योजना की मूर्तरूप देने हेतु शासन-प्रशासन स्तर पर किन-किन रूपों में प्रयास किये गये हैं, स्थानीय ग्रामों को विकास की अवधारणा के अनुरूप कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। इस दिशा में ग्रामीण सेवा केन्द्र वा केन्द्रीय भावों का उत्तरदायित्व अपने प्रभाव क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समुदाय का भौतिक एवं सामाजिक कल्याण, शासन का मुख्य लक्ष्य है, इस दिशा में किये गये प्रयास जनहित में ग्रामीण सेवा केन्द्रों की उपलब्धियां हैं।

मुजफ्फरपुर जिला में शासन स्तर पर सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय का भौतिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु कार्य किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिवास केन्द्रों में विस्थापित अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना। यह एक ऐसी व्यूह रचना है जो निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एवं समुदायिक जीवन की उन्नत बनाने के लिये बनाई गई है। इस तरह ग्रामीण अधिवास त्रिदिशाई कार्यक्रम है।

1. यह एक विधि है जिसके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्रामीण क्षेत्रों आवासित लोगों सम्मिलित किया जाता है।
2. यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परम्परागत ग्रामीण अधिवास संस्कृति केन्द्रों को तकनीकी एवं विज्ञान के प्रयोग द्वारा आधुनिक बनाया जाता है।
3. यह एक उद्देश्य है जिसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार किये जाते हैं।
4. ग्रामीण अधिवास के विकास हेतु मूलभूत सुविधाओं का विकास करना तथा जनकल्याण हेतु पंचायती राज लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास या समन्वित विकास के आधार पर विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करना है। जिला परिषद के माध्यम से पंचायती राज केन्द्र तथा राज्य सरकारों तक पहुँचाई जा सकती है। जिला परिषद केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य एक सेतु का कार्य कर सकती है। ग्राम पंचायत/नगर पालिका परिषद संसद (राष्ट्रीय पंचायत) तक भारतीय लोकतंत्र राष्ट्र की एकता का प्रतीक बन सकता है तथा ग्रामीण अधिवास जो सांस्कृतिक केन्द्र है, उसके आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, ग्रामीण इकाई पंचायत के द्वारा स्वयं प्रमाण से, स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वयन करना है। शासन द्वारा इन्हें विकास का मार्ग, उसका उत्तरदायित्व सौंप दिया है।

संदर्भ—सूची :

1. डॉ० एस०डी० कौशिक, मानव भूगोल।
2. डॉ० मौर्य, अधिवास भूगोल।
3. डॉ० एस०सी० बंसल : अधिवास भूगोल।
4. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका।
5. जनगणना मुजफ्फरपुर जिला, Handbook
6. डॉ० काला सुधा, पंचायती राज ग्रामीण विकास का राज।